राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 126/2011

प्रवीण कुमार ओसवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।

2. निदेशक, संपदा निदेशालय, कक्ष संख्या 301, मिनी सचिवालय, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.03.2011

आदेश की दिनांक : 21.02.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत दिनांक 01.09.2006 से पुनर्निधारण करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ एवं शेष राशि सहित मय ब्याज भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति इंडेक्सिंग क्लर्क के पद पर दिनांक 22.08.1991 को वेतनमान 1200–2050 में हुई थी। आदेश दिनांक 30.03.1996 के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान कराधान अधिकरण, जयपुर में यूडीसी के पद पर उसी वेतनमान में पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 27.02.1999 के द्वारा अपीलार्थी को यूडीसी के पद पर समायोजित कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.03.1999 जिसके द्वारा अंतर विभागीय स्थानान्तरण किये गये, जिसमें अपीलार्थी को कार्यालय

निदेशालय सम्पदा, राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी की सेवायें हमेशा संतोषजनक रहीं। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की पूर्व की सेवाओं की गणना के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 24.08.2000 से प्रदान किया गया और वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत दिनांक 01.09.2006 से वेतन पुनर्निधारित किये गये, परंतु अपीलार्थी के वेतनमान का निर्धारण उक्त नियम के आधार पर नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये, परंतु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत दिनांक 01.09.2006 से पुनर्निधारण करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ एवं शेष राशि सहित मय ब्याज भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक में इंडेक्सिंग क्लर्क के पद पर अस्थायी रूप से 3 माह के लिये नियुक्त हुआ और समय–समय पर सेवा अवधि को बढाया गया। दिनांक 22.03.1999 के स्थान पर दिनांक 01.04.1999 तक कराधान अधिकरण में अपीलार्थी ने कार्य किया एवं दिनांक 02.04.1999 को सम्पदा विभाग में कार्यग्रहण किया। अंकेक्षण दल लेखा अवधि 2001–03 की जांच के समय यह आक्षेप लिया गया कि अपीलार्थी को वरिष्ठ लिपिक के मूल स्ट्रेन्थ में शामिल किया जाना नियमित नहीं है और उसको स्वीकृत किया गया चयनित वेतनमान भी अनियमित है। अपीलार्थी की वरिष्ठ लिपिक के पद पर अनियमित अंर्तविभागीय स्थानान्तरण का नियमितीकरण न होने एवं अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष वेतन वृद्धियां प्राप्त करने के संबंध में अपील संख्या 237/2006 दायर की गई, जिस पर दिनांक 27.11.2007 के द्वारा अपील स्वीकार की गई, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3770/2008 माननीय उच्च न्यायालय में गुणावगुण पर विचारण हेतु लंबित होने के कारण अपीलार्थी अधिकरण से अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति इंडेक्सिंग क्लर्क के पद पर दिनांक 22.08.1991 को वेतनमान 1200–2050 में हुई थी। आदेश दिनांक 30.03.1996 के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान कराधान अधिकरण, जयपुर में यूडीसी के पद पर उसी वेतनमान में पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 27.02.1999 के द्वारा अपीलार्थी को यूडीसी के पद पर समायोजित कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.03.1999 जिसके द्वारा अंतर विभागीय स्थानान्तरण किये गये, जिसमें अपीलार्थी को कार्यालय निदेशालय सम्पदा, राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत दिनांक 01.09.2006 से वेतन पुनर्निधारण नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी रूप से 3 माह के लिये आदेश दिनांक 22.08.1991 के द्वारा हुई थी और समय–समय पर अपीलार्थी की सेवा अवधि को बढाया गया। अंकेक्षण दल लेखा अवधि 2000–03 की जांच के समय यह आक्षेप लिया गया कि अपीलार्थी को वरिष्ठ लिपिक के मूल स्ट्रेन्थ में शामिल किया जाना नियमित नहीं है एवं चयनित वेतनमान भी अनियमित है और वेतन वृद्धियां पाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3770/2008 प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश दिनांक 27.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। इस प्रकार उक्त मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित होने के कारण अधिकरण द्वारा उक्त मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील में बल न होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य